न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **प्रेम देवी बनाम किशोरीलाल व अन्य** **किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण** **मुकदमा संख्या 22/2021**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
23.05.2022	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोदारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिये विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजकीय अधिवक्ता के उक्त कथन से सहमत होते हुये विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को खारिज करने किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अधिवक्ता के उक्त कथन पर मनन किया गया। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोदारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानान्तरण हो चुका है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भी प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को आगे चलाया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन मुकदमा संख्या 214/2021 दावा उद्घोषणा अस्थाई निषेधाज्ञा एवं मुकदमा संख्या 102/2021 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी प्रेम देवी आदि बनाम किशोरीलाल को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थीया प्रेम देवी पत्नि हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी पीलवा खुर्द तहसील सिकराय जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official